

बाल सुरक्षा पोर्टल

स्रोत: पी. आई. बी

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल** और **GHAR-गो होम और री-यूनाइट पोर्टल** पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

- **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल** वभिन्न हतिधारकों द्वारा समर्थित, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लापता तथा पाए गए बच्चों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।
 - **"खोया-पाया"** सुविधा नागरिकों को लापता या देखे गए बच्चों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है, जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- इसे गृह मंत्रालय के **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग तथा नेटवर्क सिस्टम** के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो लापता बच्चों की एफ.आई.आर. से मिलान करने के संदर्भ में अंतरसंचालनीयता की अनुमति देता है।
- इसके अलावा **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** ने **GHAR – गो होम एंड री-यूनाइट (बच्चे का उद्धार और घर वापसी के लिये पोर्टल)** नामक एक पोर्टल वकिसति तथा शुरू किया है। GHAR पोर्टल को **कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून, 2015** और उसके नियमों के तहत प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों के उद्धार तथा घर वापसी की डिजिटल नगिरानी एवं पता लगाने हेतु वकिसति किया गया है।

और पढ़ें: [सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/child-safety-portals>